किशोरावस्था शिक्षा : चुनौतियां और समाधान

अल्का रानी – सहायक प्रोफेसर इतिहास (अनुबंधित), सामाजिक एवं मानविकी शिक्षा विभाग क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी, अजमेर, भारत.
Email - mailtoalkarani@gmail.com

सारांश – किशोरावस्था वह अवधि है जो बचपन को व्यस्कता से जोड़ती है। इस अवस्था में तेजी से शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तन होता है। यह मानव जीवन के सर्वाधिक परिवर्तन और विकास का चरण है। किशोर दुनिया की कुल आबादी का लगभग पॉचवा हिस्सा है और इसलिए इनकी विशिष्ट जरूरतें अनिवार्य रूप से विचारणीय हो जाती है। किशोर जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तनों को समझने एवं जानने के लिए प्रामाणिक स्रोतों की अनुपलब्धता, किशोरों के बीच श्रम की स्थिति और अशांति को जन्म देती है। किशोरावस्था भावनात्मक असंतुलन और तनाव की अवधि है। किशोरों में अधिक उत्साह और भावनाओं का अतिरेक भी देखा जाता है। जब उनकी जिज्ञासा ठीक से शांत नहीं होती है और उनके हितों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तब ऐसी स्थिति में मानसिक और भावनात्मक तनाव की ओर अग्रसर हो जाते हैं। टी वी, कम्प्यूटर और इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वर्तमान युग में, अपनी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, भावनात्मक असंतुलन और मानसिक तनाव के कारण, किशोर छात्र (12–18 आयु वर्ग) अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रस्तुत लेख वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किशोरावस्था की कुछ समस्याओं की पहचान करने और किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों में स्वस्थ दृष्टिकोण से विचार एवं व्यावहारिक समाधान की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रयास है।

शब्द कुंजी : किशोरावस्था, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक परिवर्तनों, व्यक्तिगत विकास, किशोर न्याय अधिनियम.

प्रस्तावना :

"किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है।" –स्टेनले हॉल

आश्रम व्यवस्था हिन्दु सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण संस्था है। जिसका सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद् में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्मानुशासन का है। ये प्रशिक्षण की चार अवस्थाये है। जिसमें प्रथम सोपन ब्रह्मचर्य आश्रम है। जिसे वर्तमान समय में किशोरावस्था के समतुल्य मान सकते है। विकास की दृष्टि से किशोरावस्था मानव विकास की तृतीय अवस्था है। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों को व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

दसवीं पंचवर्तीय योजना तथा एन. सी. एफ. 2005 के आलोक में किशोर शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित किये जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही परंतु सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विषय होने के कारण इसे पाठ्यचर्या में लागू किये जाने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। एच. आई. वी. संक्रमण की वृद्धि दर देखते हुए किशोर शिक्षा प्रदान करनी और भी आवश्यक हो गई है। एन. सी. एफ. 2005 के आलोक में किशोर शिक्षा के पाठ्यक्रमीय संबोधों को परम्परागत विषयों में समाहित किया जाना उचित होगा। प्राथमिक स्तर पर इसके संबोध भाषा, पर्यावरणीय अध्ययन और उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत उल्लेखित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े–पढ़ाए जा सकते है। इससे प्रमुख लाभ यह होगा कि किशोर शिक्षा को अलग दृष्टि से नहीं देखा जायेगा।

किशोरावस्था का अर्थ व स्वरूपः

किशोरावस्था को अंग्रेजी में 'एडोलेसेन्स' कहते है। एडोलेसेन्स शब्द लैटिन भाषा के 'एडोलिसिर' (कवसमबमतम) से बना है जिसका अर्थ – परिवक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व बन जाता है। संवेगात्मक उथल–पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक आवस्था भी कहते है।

हमारे देश में पाशचात्य देशों की अपेक्षा किशोरावस्था का काल जल्दी शुरू और समाप्त हो जाता है। '' उन देशों में किशोरावस्था का समय लडकियों में लगभग 13 वर्ष से 21 वर्ष और लडकों में 15 वर्ष से 21 वर्ष तक माना जाता है वहीं हमारे देश में इसकी सीमा लडकों में 13 वर्ष से 19 वर्ष तक और लडकियों में 11 वर्ष से 17 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में किशोर अपने को वयस्क समझता है और वयस्क उसे बालक समझता है। इसी संक्रमण काल में किशोर अनेक बुराइयों में पड़ जाता है। जैसे – बाल–अपराध, मादकद्रव्यों का सेवन, योन रोग संबंधी समस्या, मानसिक तनाव आदि। इस लेख में हम बाल अपराध जैसी समस्या, जो कि जघन्य और विकराल रूप धारण कर रही है, पर विस्तृत चर्चा करेंग। हमारा उद्देश्य समस्या के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं

पर विचार करना है। बाल अपराध के लिए सिर्फ किशोर ही जिम्मेदार नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी उसकी व्यक्तिगत समस्याऐं, समाज की उपेक्षा और उसकी आवश्यकताएं हैं।

बाल अपराध की परिभाषा और अर्थः

अपराध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक किशोर अपराध है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के कुछ कानून होते हैं। इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वह वयस्क हो या बालक। यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी कार्य करता है, तो उसका कार्य, अपराध कहा जाता है। यदि किशोर इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसका कार्य 'बाल अपराध' कहा जाता है। भारत में बाल अपराधियों की निम्नतम आयु 7 वर्ष और अधिकतम आयु 10 वर्ष है। एक राष्ट्रीय पत्रिका, 1996 ने लिखा कि ''किशोर हिंसा बढ़ रही है और यह बुरा हो रहा है।'' बाल अधिनियम 1960 के अनुसार 'एक बाल अपराधी वह है जो जुर्म करता हुआ पाया है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।''

सुर्खियों में किशोर न्याय अधिनियम 2000ः

अस्सी के दशक में प्रदर्शित हुई 'सलाम बाम्बे' ने सड़क पर रहने वाले बच्चों, सुधार गृह, उनके अपराधी बनाये जाने और उससे जुड़े कानून को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनाया था। आज फिर यह कानून ''किशोर न्याय अधिनियम 2000' चर्चा में है। इसे निरस्त करके नया कानून बनने की मांग की जा रही है। इस कानून पर बहस। सुर्खियों में 'किशोर न्याय अधिनियम' 2000

(दिल्ली में सोलह दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुद्ध हुई थी जो आज तक जारी है। इस शर्मनाक घटना में एक किशोर के शामिल होने के कारण से बहस शुरू हुई थी कि क्या इस तरह के अपराधों में लिप्त बच्चों से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त है? क्यों न इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों के खिलाफ सामान्य कानून में निर्धारित सजा दी जाये? उनके साथ रियायत क्यों बरती जाये? उसके साथ ही इस अधिनियम में बदलाव करके किशोरावस्था की उम्र को 18 बरस से घटा कर 16 बरस करने की मांग जोर पकड़ने लगी है और कुछ सप्ताह पहले इस कानून का मसौदा संसदीय स्टैकिंग कमेटी को सौंप दिया गया और संसद के शीतकालीन में इसके पेश होने की संभावनाऍं हैं।

बाल अपराध के कारण – भारत में संक्रमण काल के दौर में सामाजिक व्यवस्थाओं पारिवारिक मूल्यों व आदर्शों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जिसके फलस्वरूप स्वच्छ वातावरण की कमी के चलते बाल अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रमुख कारण इस प्रकार –

1. **आनुवंशिक कारण** – अनेक मनोवैज्ञानिक का मत है कि बाल अपराधियों का जन्म होता है। उनको यह अपराधी प्रवृत्ति अपने माता–पिता से वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्तियों के साधारणतः दो प्रकार के उत्पादक गुण होते हैं–स्त्रियों में ग्ग और पुरूषों में ग्ल। असाधारण दशाओं में कुछ स्त्रियों में केवल ग गुण सूत्र और पुरूषों में ग्ल्ल गुण सूत्र होते है। ऐसे मनुष्य बाल अपराधियों को जन्म देते है। **ग्लूक एवं ग्लूक** ने अपनी पुस्तक ''चीलेपुनम – कमसपदुनमदबल'' में शारीरिक रचना को भी अपराध का कारण माना है। **शेपर्ड (1974)** के अनुसार, अपराध के लिए कम से कम 25ः जैविक कारणों को दोषी ठहराया जा सकता है।

2. **सामाजशास्त्रीय कारक** – पारिवारिक कारकों, ऐसे तनाव पूर्ण, भग्न, अनैतिक परिवार और आपसी सामंजस्य की कमी के रूप में अपराध के महत्वपूर्ण स्त्रोत है। **कुप्पूस्वामी के अनुसार,** ''बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक के द्वारा परिवार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाना है।'' इस परिस्थिति में वह परिवार से समायोजन करने में असफल हो जाता है और असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। जैसे – विद्यालय से भागना, घर में रूपया और आभूषण चोरी करना। ज्यादातर बाल अपराधी निर्धन घरों से आते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बाल अपराधी अपने आस पास के अकुशल एवं निर्धन लोगों के बच्चों को भी अपने प्रभाव में लाकर उन्हें अपराध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आधुनिक नगरों का वातावरण अत्यधिक दूषित, कृत्रिम और अनैतिक है। उनमें बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाले सभी साधन विद्यमान हैं। जैसे मदिरालय, वेश्यालय, सस्ते मनोरंजन, कामुक चलचित्र, जुआ और सट्टा खेलने के अड्डे और लाउडस्पीकरों पर अश्लील गाने इत्यादि। जिस बालक पर उसके माता पिता का पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता है, वह उनके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाता है। समाजशास्त्रियों का तर्क है कि अधिकांश बाल अपराधी गंदी बस्तियों के होते हैं। ये वाहन और वाहनों के छोटे बड़े उपकरणों की चोरी से लेकर पॉश कालोनियों में लूट मार और हत्या जैसे मामलों में लिप्त पाये जाते हैं। बढ़ते तकनीकी युग में टेलीविजन, इंटरनेट और सूचना के अन्य साधनों की वजह से बच्चे 16 साल की उम्र तक बहुत कुछ जान जाते हैं।

विद्यालय संबंधी कारण – एच जी वेल्स ने व्यक्तिगत स्कूल के बारे में लिखा है– ''यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढियां किस प्रकार पहाड़ी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही है, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिए', ये स्कूल बालकों के शारीरिक, मानसिक, और संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त सुविधायें नहीं जुटाते हैं । यहां तक धन प्राप्त करने की होड़ में बालकों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। वर्तमान समय में जिस परीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, उसमें कितने ही दोष हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से बालकों को परीक्षा भवनों में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के अवसर देती है।

मनोवैज्ञानिक आधारः

किशोरावस्था एक ऐसे परिवर्तन का दौर है जिसमें अगर ठीक देखभाल, शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराया जाए तो हर बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर विकसित किया जा सकता है। बच्चों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और शैक्षणिक जरूरतें व्यस्कों से अलग होती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का ये सिद्धांत तर्कहीन भावनाओं पर नहीं, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था में मस्तिष्क में दो अलग अलग भाग होते हैं। जो अच्छे बुरे की पहचान और निर्णय लेने में मदद करते हैं। पहला सामाजिक भावनात्मक से संबंधित हिस्सा होता है जो भावनाओं से संबंधित है और सजा तथा पुरस्कार द्वारा नियोजित होता है। यह हिस्सा किशोरावस्था में एक बड़े बदलाव से गुजरता है और उसके कारण उस उम्र के बच्चे ऐसे काम करना चाहते जिससे ज्यादा से ज्यादा सनसनी का अहसास मिले – इस सनसनी को महसूस करने के लिए 16 से 18 साल के बच्चों के बीच बिना परिणाम और नफे नुकसान की चिंता किये जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण अक्सर यह देखा है कि वो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जिनमें भारी जोखिम होता है पर 'पारितोषिक कम'।

मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा संज्ञानात्मक भाग कहलाता है। जो लंबे समय के लिए योजना बनाने, नफे नुकसान का आंकलन करने और उतेजना और आवेश को नियंत्रित करने में मदद करता है मस्तिष्क के इन दोनों भागों के बीच का अंतर्संबंध किशोरावस्था के अंतिम चरण या बीस की उम्र के आसपास परिपक्व होता है, अधिकतर किशोर बीस साल की उम्र तक आते आते अपने आवेगशील व्यवहार को नियोजित करना सीखते हैं और उसी उम्र तक आते आते परिपक्वता की शुरूआत होती है ये सारे मानसिक परिवर्तन सोलह से बीस साल की उम्र में होते हैं और इसलिए इससे ठीक पहले का आयु वर्ग 16–18 में बच्चों में अपराध की दुनिया में आने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण साधारणतः किशोरावस्था की उम्र तय करने के लिए अठारह साल की उम्र को कट ऑफ के तौर पर लिया जाता है।

किशोर अपराध से जुड़े कुछ आंकड़ेः

नेशनल क्राइम ब्यूरो (छब्त्ठ) के आंकड़ों को देखे तो सन् 2011 में हुये 2325575 संज्ञेय अपराधों में से 25125, यानि 1.1 प्रतिशत अपराध 18 वर्ष से कम के बच्चो ने किये हैं। 18 वर्ष से कम के बच्चे भारत की जनसंख्या का लगभग 42 प्रतिशत है और उनके द्वारा किये गये अपराधों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है। तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक (2001–2011) में बच्चों द्वारा किये गये अपराधों में मात्र 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि नगण्य है। वही दूसरी ओर सन 2011 में बच्चों द्वारा किये गए 25125 अपराधों में से मात्र 1149 (4.5 प्रतिशत) अपराध 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किये गए बलात्कारों के हैं। 2001 में इस आयु वर्ग के द्वारा किये गये बलात्कारों की संख्या 399 थी जो 2011 में बढ़ कर 1149 हो गयी जो कि चिंताजनक है।

किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति अब सामूहिक बलात्कार में शामिल इस किशोर के मामले को ही परखा जाए तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आती हैं जिन्हें अखबारों ने तरजीह नहीं दी है। यह बच्चा 13 साल की उम्र में अपने परिवार से अलग हो गया था और उसके बाद इसने अपना जीवन सड़कों पर गुजारा है। यह बच्चा उन सभी जोखिमों से रूबरू होता रहा होगा जिसका सामना सडकों पर रहने वाले सभी बच्चे करते हैं। इस उम्र में परिवार के बिना जीवन यापन करना और बिना किसी दिशा निर्देश के जीवन गुजारना किसी बच्चे को कहां तक ले जा सकता है इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

जब यह बच्चा सड़कों पर अपना जीवन गुजार रहा था और इसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत थी तब यह समाज और कानून व्यवस्था कहां थे? क्यों उस कानून व्यवस्था ने तब कार्य किया जब तक उस बच्चे ने गंभीर अपराध को अन्जाम नहीं दिया, यह सीधे सीधे एक ऐसा मामला है जिसमें एक बच्चा जिसे संरक्षण और सुरक्षा की जरूरत थी और समय पर संरक्षण ना मिलने पर वह कानून तोड़ने वाला बच्चा बन गया।

जे जे एक्ट के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी बच्चें को जो जोखिम में हैं उन्हें संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करें, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपराध करने से बचाना है। समस्या दरअसल यह है कि इस कानून का ध्यान कानून तोड़ने वाले बच्चों पर रहा है, उन बच्चों पर नहीं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है इस कानून को ठीक से लागू करने की कभी कोशिश ही नहीं की गयी और अब मांग उठ रही है कि इस कानून को बदला जाये यह कितना उचित है कि जिस कानून को ठीक से क्रियान्वित करने का मौका नहीं दिया गया उसमें बदलाव लाया जाए।

बाल अपराध का निवारण – बाल अपराध के निवारण, निरोध या रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं : यथा –

1. सर्वप्रथम बच्चे को परिवार में उत्तम वातावरण, उनके प्रति उचित व्यवहार, बालकों का निरीक्षण और उनके दैनिक व्यय की पूर्ति हो। माता–पिता द्वारा बालकों में आत्म निर्भरता के गुण का अधिक से अधिक विकास किया जाये।
2. विद्यालय के बालोपयोगी ये सुसज्जित अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए। जिसके द्वारा ये प्राचीन दार्शनिक विचारको, उनकी जीवन शिक्षा, कविता पाठ आदि का अध्ययन कर सके।
3. परिवार, विद्यालय के माध्यम से हमारे प्राचीन आदर्शों और संस्कारों की पुर्नस्थापना की जाये। जिसके माध्यम से बच्चे में अच्छे गुणों का होगा।

4. विद्यालय में तरूण गोष्ठियों की स्थापना की जानी चाहिए। ये गोष्ठियां बालकों को अपनी रूचियों और क्षमताओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है।

5. अपराधों में लिप्त बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाए ताकि वे अपने द्वारा किए गए अपराधों को अच्छी तरह समझ सके।

6. प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों के बालकों और किशोरों के सामूहिक संघों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन संधों को किशोरों को सम्मिलित रूप से सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस प्रकार का सामूहिक काय उनमें सामाजिक समायोजन का विकास करेगा और साथ ही उनके व्यवहार को स्वस्थ दिशा में मोड़ेगा।

7. बाल अपराध का मुख्य कारण यह है बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृति को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है। परिणामतः इस प्रवृति का दमन हो जाता है, जो अवसर मिलने पर विनाशकारी कार्यों के रूप में प्रकट होती है। खेल चिकित्सा के द्वारा बालकों को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बनाने का अवसर दिया जाता है। इससे बालक की रचनात्मक प्रवृति संतुष्ट हो जाती है और उसके मन का विकार दूर हो जाता है। मैकीसन एवं जोनसन ने लिखा है– ''संवेगात्मक असंतुलन वाले अधिकांश बाल अपराधियों की खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है।''

8. राज्य द्वारा अपराधी और अनैतिक कार्यों का प्रदर्शन करने वाले चलचित्रों पर कड़ा नियंत्रण आरोपित किया जाना चाहिए।

9. निर्धन बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही, उनको अपनी शिक्षा के व्यय के लिए आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए।

10. विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे – कारावास, प्रवीक्षण, किशोर सुधारगृह, पोर्स्टल संस्थायें, किशोर–बंदीगृह, आदि के माध्यम से बाल अपराधी को उचित संरक्षण दिया जा सकता है।

निष्कर्षः

प्रस्तुत लेख में हमने किशोरावस्था से जुड़ी समस्या बाल अपराध के विभिन्न आयामों पर चचा की है। निष्कर्षतः इस समस्या के जिम्मेदार एक परिवार या व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज है। हमारे द्वारा इस समस्या पर तब ध्यान दिया जाता है जब कोई बालक अपनराध करता है। तब नहीं जब उसे सामाजिक संरक्षण और उचित शिक्षा की जरूरत हो। वर्ना हमारी सामाजिक व्यवस्था में हो रही है। जिसके माध्यम से बच्चे को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा। वर्तमान किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव की जगह इसी को उचित रूप में लागू किया जाए।

लेख समीक्षाः

पस्तुत लेख के लेखन के दौरान विषय से संबंधित विभिन्न प्रकाशित लेखों की समीक्षात्मक अध्ययन कर प्रस्तुत लेख को और अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण लेख व उनकी समीक्षा।

1. किशोर, ''यह बच्चा किसका है?'' हँस पत्रिका जनवरी 2015 में प्रकाशित PP. 70–72, प्रस्तुत लेख में लेखक ने बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक आधार और किशोर न्याय अधिनियम के कार्यावन्यन पर ध्यान बल दिया परंतु लेखक ने बाल अपराध के अन्य कारणों पर कम ध्यान दिया।

2. Marisen Mwale : 2010 PSYCHOSOCIAL CHALLENGES/PROBLEMS FACING ADOLESCENTS : Some Analytical Consideration] प्रस्तुत लेख में लेखक बाल अपराध निवारण हेतु समुचित उपायों पर ध्यान इंगित नहीं किया।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1- National Curriculum Framework 2005, NCERT, New Delhi
2. गौड़, एस. के. किशोर शिक्षा की चुनौतियां एवं समाधान (पृ 35)
3. पाठक, पी डी. : शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 2012, पृ 437–451
4. गुप्ता, एस पी 2010 – 'उच्चतर शिक्षा मनो विज्ञान' शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स,इलाहाबाद
5. मंगल एस के 1987, शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, प्रकाश ब्रदर्स जालंधर
6- Volume of abstracts (National Serminar on Adolescence Education,RIE, Ajmer.